भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1826
सोमवार, 10 मार्च, 2025 / 19 फाल्गुन, 1946, (शक)

गिग और प्लेटफ़ॉर्म श्रमिकों की सामाजिक सुरक्षा

1826. श्री जी. कुमार नायक:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गिग और प्लेटफॉर्म श्रमिकों की जनसांख्यिकी, आय स्तर और सामाजिक सुरक्षा आवश्यकताओं का विश्लेषण करने के लिए कोई सर्वेक्षण किया गया है या इसकी योजना बनाई गई है;

(ख) पारंपरिक रोजगार अनुबंधों के बिना गिग श्रमिकों के लिए उचित मजदूरी और आय स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए उपायों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने सामाजिक सुरक्षा लाभों में योगदान को प्रोत्साहित करने के लिए प्लेटफॉर्म कंपनियों के साथ कोई परामर्श किया है, यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है;

(घ) सरकार खासकर महिलाओं और विकलांग व्यक्तियों के साथ भेदभाव को कैसे रोकती है और निष्पक्ष व्यवहार सुनिश्चित करती है; और

(ङ) गिग श्रमिकों को ऋण और ऋण सुविधाएं प्रदान करने के लिए वित्तीय संस्थानों के साथ साझेदारी का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री
(सुश्री शोभा कारान्दलाजे)

(क) से (ङ): गिग और प्लेटफॉर्म कामगारों के लिए सामाजिक सुरक्षा और कल्याण के उपबंध सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 में दिए गए हैं, जिसे संसद द्वारा अधिनियमित किया गया है।

संहिता के अनुसार, गिग कामगारों को एक ऐसे व्यक्ति के रूप में परिभाषित किया गया है जो कार्य करता है या कार्य की व्यवस्था में भाग लेता है और पारंपरिक नियोक्ता-कर्मचारी संबंध के बाहर ऐसी गतिविधियों से कमाई करता है।

जारी..2/-

नीति आयोग की जून 2022 में प्रकाशित रिपोर्ट "भारत की तीव्रता से बढ़ती गिग और प्लेटफॉर्म अर्थव्यवस्था" के अनुसार, देश में गिग कामगारों और प्लेटफॉर्म कामगारों की संख्या वर्ष 2020-21 में 7.7 मिलियन थी, जिसके वर्ष 2029-30 तक 23.5 मिलियन तक बढ़ने की उम्मीद है।

संहिता गिग कामगारों और प्लेटफॉर्म कामगारों के लिए जीवन और निःशक्तता कवर, दुर्घटना बीमा, स्वास्थ्य और प्रसूति प्रसुविधा, वृद्धावस्था संरक्षण आदि से संबंधित मामलों के लिए उपयुक्त सामाजिक सुरक्षा उपायों के निर्माण का उपबंध करता है। यह संहिता कल्याण योजना को वित्तपोषित करने के लिए एक सामाजिक सुरक्षा कोष स्थापित करने का भी उपबंध करती है।

प्लेटफॉर्म कंपनियों सहित कई हितधारकों के साथ, मंत्रालय में विभिन्न स्तरों पर परामर्श किया गया है ताकि अन्य बातों के साथ साथ गिग और प्लेटफॉर्म कामगारों के लिए सामाजिक सुरक्षा उपबंधों, उपयुक्त कल्याणकारी योजनाओं के निर्माण और सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 के उपबंधों के अनुसार अंशदान के माध्यम से ऐसी योजनाओं के वित्तपोषण पर चर्चा की जा सके।

श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा प्लेटफ़ॉर्म एग्रीगेटर्स को एड्वाइज़री जारी की गई कि वे स्वयं और उनके साथ जुड़े प्लेटफ़ॉर्म कामगारों का ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकरण करें और कराएं और इसके पश्चात, पोर्टल पर आसान ऑनबोर्डिंग के लिए एक एग्रीगेटर मॉड्यूल भी लॉन्च किया गया। इससे प्लेटफ़ॉर्म कामगारों को सामाजिक सुरक्षा लाभों तक आसान पहुंच प्राप्त होगी।

ऑनलाइन प्लेटफार्मों के गिग कामगारों के योगदान को मान्यता देते हुए, संघ सरकार ने दिनांक 1.2.2025 को अपनी बजट घोषणा में उन्हें ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकरण कराने, उनके पहचान पत्रों की व्यवस्था करने और आयुष्मान भारत-प्रधान मंत्री जन आरोग्य योजना (एबी-पीएमजेएवाई) स्वास्थ्य योजना के तहत स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करने का प्रस्ताव रखा।

*****